



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13414

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 45091/2025

शिव मंगल गुप्ता

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: अमित कुमार सिंह, संतोष कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना एवं मामले के अधिलेख का अवलोकन किया।
2. याची ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पार्थना के साथ वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है:-

"(i) मंडावस (परमादेश) की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 को उप जिलाधिकारी, तहसील करछना, जिला प्रयागराज द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2023 का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया जाए।

(ii) मंडावस की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 4 को निर्देशित किया जाए कि वह इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर याची के प्रत्यवेदन/आवेदन दिनांक 13.11.2025 (रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 9) को तय करें।"

3. यह तर्क दिया गया है कि याची द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाही, जो वाद संख्या 7290/2023 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202302030507290) के रूप में पंजीकृत थी, में उप जिलाधिकारी, तहसील करछना, जिला प्रयागराज द्वारा दिनांक 27.07.2023 को एक आदेश पारित किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त आदेश का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है। आगे यह तर्क दिया गया कि उक्त आदेश के अनुपालन के लिए याची द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4 के समक्ष आवेदन दिया गया है, लेकिन आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 इस मामले में शीघ्रता से निर्णय लेंगे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सहमति से, वर्तमान याचिका को याची को इस संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 2- जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक उचित आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है। यदि ऐसा आवेदन आज से तीन सप्ताह के भीतर दायर किया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित किया जाता है कि वे आवेदन प्रस्तुत होने की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार उस पर उचित आदेश पारित करें।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई आदेश पारित नहीं किया है और संबंधित प्राधिकारी इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करेंगे।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

20 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"